कार्यालय कलेक्टर जिला–मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र. 32/अ-82/भू–अर्जन/2016–17 5280 मुरैना, दिनांक : 7/7/2017

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम अगरौता, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला–मुरैना में कुल रकवा 1.576 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला–मुरैना तहसील–जौरा के ग्राम–अगरौता प.ह.नं. 47, रा.नि. वृत–03 में उक्त परियोजना के लिये 1.576 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

अनुसूची

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.मे)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.005	शंकर पुत्र हरदेव हि. 1/2 रोशन, दर्शनलाल, गोरेलाल, हलुके पुत्रान् देवी, मु. पुनिया बेवा देवी स.भाग 1/2 जाति कुशवाह निवासी राजाराम का पुरा
2	10	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.003	लतीब खां, पप्पू खां, शिवराती, निजामुद्दीन, टिललम खां पुत्रान् छुट्टन इस्लामी, शरीफन, वहीदन, रहीसा, गुडिया पुत्रियान् छुट्टन, मु. बत्तो बेवा छुट्टन स.भाग 1/10 मुहम्मद पुत्र बजीरा भाग 1/10 दर भाग 1/5 गफूर खां, हबीब खां, शरीफ खां पुत्रान् मुहम्मद स.भाग 1/5 अहमद पुत्र मीरस्याह भाग 1/5 मु. उलफत बेवा हुसैन, नबीशेर, शहजाद पुत्रान् हुसैनी, कुल्लम, मुन्नी, असगरी पुत्रियान् हुसैनी स.भाग 1/5 जाति मुसलमान, दाताराम, मोहन, कमलेश पुत्रान् सामलिया, मु. रामश्री बेवा सामलिया स. भाग 1/5 जाति कोली निवासी ग्राम
3	11/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.363	रामो, गुलाबी पुत्रियान् हरिविलास स. भाग 1/2 नरोत्तम, विनोद पुत्रान् बाबूलाल, विद्याबाई, ममता पुत्रियान्

					बाबूलाल स.भाग 4/5 मन्जू बेवा शैलेन्द्र, रोहित बा. सचिव नाबा. पुत्रान् शैलेन्द्र सरप. मां खुद स.भाग 1/5 दर भाग 1/4 रामरतन पुत्र रघुनाथ भाग 1/4 जाति त्यागी निवासी ग्राम
4	11/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.297	बाबूलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रान् भोगीराम स.भाग 0.25 जाति त्यागी निवासी चिन्नौनी करैरा, कल्याण मुन्ना सुरेश पुत्रान् शिवचरन स.भाग 0.76 जाति कुशवाह निवासी ग्राम
5	37/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.067	रामखिलाड़ी पुत्र पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी गोपालपुरा
6	37/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.035	अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम
7	34	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.512	नादरिया, सुग्रीव पुत्रान् मंगलिया हि. 2/9 आनन्दी बेवा पतिराम, बदनसिंह, अशोक, पूरन, सुदामा पुत्रान् पतिराम, रामरती, सुनीता पुत्रियान् पतिराम स.भाग 1/9 दाताराम, कमलेश, मोहन पुत्रान् सामलिया, मुन्नी पुत्र सामलिया स.भाग 1/3 मातादीन पुत्र ओछा, मु. छोटी बेवा ओछा स.भाग 1/3 जाति कोली निवासी ग्राम
8	35	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.128	मु. मुल्लो बेवा कुढ़ेरी, रामजीलाल, होतम, नारायण, द्वारिका, बाबूलाल, टीकाराम पुत्रान् कुढ़ेरी, रामरती पुत्री कुढ़ेरी स.भाग 1/3 रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशी, रामदेई, नारायणी, शंकरिया, बादामी पुत्रियान् बंशी स.भाग 1/18 सुखुआ पुत्र शिवराम हि. 1/18 मुन्ना, भूपसिंह पुत्रान् सुखराम, रमेश पुत्र बंशीधर स.भाग 1/18 मथुरा, मानो, जावित्री पुत्रियान् शिवराम स.भाग 3/18 दर भाग 1/3 जाति त्यागी, रामचरन पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/3 जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम
9	36	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.097	भीखा, देवीराम बा. वीरेन्द्र, सोनेराम नाबा. पुत्रान् भरोषी सरप. पिता खुद स. भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
10	41/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.064	मुकेश नाबा. पुत्र भूपसिंह सरप. पिता खुद भूपसिंह पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
11	42	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.(3	मुन्ना पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
कुल				1.576	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना
तारीख : 7/7/17

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)

पृष्ठां. प्र.क्र/~~5280~~/ ~~7/417~~ 132/31-82/ भू–अर्जन/2016–17/5280/ मुरैना, दिनांक 7 /7 /2017

प्रतिलिपि :–

8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
10. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा, जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
12. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
13. तहसीलदार, परगना जौरा की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)